सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, चूरू
पीठासीन अधिकारी सुश्री श्वेता कोचर, आर.ए.एस.

नम्बर मुकदमा	किस्म मुकदमा	ता0 दायरा	निर्णय तिथि
703 / 2017	दावा 53,88,92ए RTA	31.10.2017	31.01.2018

1. मु. मीरा पत्नी स्व. फूलाराम जाति जाट निवासी बाढकी तहसील व जिला चूरू
2. मु. सोना पुत्री स्व. फूलाराम पत्नी यशपाल
3. मु. सुमित्रा पुत्री स्व. फूलाराम पत्नी सुरेश
4. मु. सजना पुत्री स्व. फूलाराम पत्नी सुभाष
5. मु. अर्चना पुत्री स्व. फूलाराम पत्नी राकेश
6. कु. मंगलम उर्फ मंजू पुत्री स्व. फूलाराम

(2 से 6) जाति जाट निवासीगण बाढकी तहसील व जिला चूरू

7. कु. प्रियंका पुत्री स्व. फूलाराम बउम्र 16 वर्ष
8. मुकेश पुत्र स्व. फूलाराम बउम्र 14 वर्ष

(7 व 8) नाबालिग जरिये कुदरती वली अपनी माता मु. मीरा पत्नी स्व. फूलाराम जाति जाट निवासी बाढकी तहसील व जिला चूरू (राज.)

—वादीगण—

बनाम

1. हरलाल
2. मूलचन्द
3. बुधाराम

(1 से 3) पि. स्व. भूराराम सकनाऐ बाढकी तहसील व जिला चूरू (राज.)

4. मु. किताबी पुत्री स्व. भूराराम पत्नी आशाराम जाति जाट निवासी जोरजी का बास (जिकसाना ताल) तहसील तारानगर जिला चूरू (राज.)
5. आई.डी.बी.आई. बैंक लिमिटेड, शाखा—चूरू जरिये प्रबन्धक, आई.डी.बी.आई. बैंक लिमिटेड, शाखा—चूरू (राज.)
6. बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा—चूरू जरिये प्रबन्धक, बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा—चूरू (राज.)
7. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, चूरू (राज.)

—प्रतिवादीगण—

<u>दावा अन्तर्गत धारा 53, 88, 92ए आर.टी.ए.</u>

उपस्थित —
1. अधिवक्ता श्री नरेन्द्र सिहाग वादीगण
2. अधिवक्ता श्री जितेन्द्र सिहाग प्रतिवादी सं. 1 से 4
3. अधिवक्ता श्री सुरेश शर्मा प्रतिवादी सं. 4
4. अधिवक्ता श्री हेमन्त शर्मा प्रतिवादी सं. 5

वादीगण की ओर से दावा अन्तर्गत धारा 53, 88, 92ए आर.टी.ए. का पेश कर निवेदन किया कि वाद की स्थिति को समझने के लिए वादीगण एवं प्रतिवादीगण सं. 1 ता 4 का वंशवृक्ष हस्ब जैल दर्ज है:—

उपखण्ड अधिकारी
चूरू

भूराराम (फौत) के वारिसान में फूलाराम (फौत), हरलाल, किताबी, मूलचन्द, बुधाराम पुत्र–पुत्रियां एवं मु. चाना पत्नी (फौत) हैं। भूराराम के एक पुत्र फूलाराम का स्वर्गवास हो चुका है जिसके जायज वारिसान में मीरा पत्नी, सोना, सुमित्रा, सजना, अर्चना, कु. मंगलम उर्फ मंजू, कु. प्रियंका व मुकेश पुत्र–पुत्रियां हैं।

वादीगण की ओर से पेश दावा के शेष तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि रोही मौजा बाढकी में स्थित कृषि भूमि ख.नं. 100, 335/85, 337/109 तादादी कमशः 14.09, 5.00, 3.10 कुल 22.10 बीघा तथा रोही मौजा करणपुरा तहसील चूरू में स्थित कृषि भूमि ख.नं. 90, 365/127 तादादी कमशः 11.05, 1.03 कुल 12.08 बीघा भूमि वादीगण एवं प्रतिवादी सं. 1 ता 4 के पुश्तैनी सह–खातेदारी में अंकित भूमि है। वादगत कृषि भूमि वादिनी सं. 1 के पति एवं वादीगण सं. 2 ता 8 के पिता स्व. फूलाराम वल्द भूराराम तथा प्रतिवादी सं. 1 ता 3 को अपने पिता भूराराम वल्द सुखाराम से विरासत में अर्जित खातेदारी व कब्जा काश्त की कृषि भूमि है। वादिनी सं. 1 के ससुर व वादी सं. 2 से 8 के दादा व प्रतिवादी सं. 1 ता 3 के पिता के स्वर्गवासी होने के समय प्रतिवादिनी सं. 4 किताबी ने स्वेच्छा से अपने पिता की खातेदारी में अंकित कृषि भूमियों में अपना हिस्सा नहीं लेना चाहा एवं स्वेच्छा से परित्याग अपनी माता मु. चाना बेवा भूराराम एवं भाईयों के पक्ष में कर दिया था इसी कारणवश नामान्तरकरण सं. 24 दिनांक 14.06.78 को वादिनी सं. 1 के पति तथा प्रतिवादी सं. 1 ता 3 एवं स्व. चाना बेवाह स्व. भूराराम के हक में तस्दीक किया जाकर स्व. भूराराम की 1/4 हिस्सा भूमि की खातेदारी उनके पुत्रों एवं पत्नी मु. चाना के नाम ब.हि.ब. दर्ज हुई। इन्तकाल सं. 24 दिनांक 14.06.78 का आरम्भ से ही इल्म होते हुए भी प्रतिवादिया सं. 4 ने उक्त इन्तकाल को चुनौती देते हुए सक्षम न्यायालय में कोई चाराजोई नहीं की, ना ही वादगत कृषि भूमि में कभी कोई अधिकार जताया, ना काबिज होकर कभी काश्त की तथा ना ही कोई कब्जा काश्त वर्तमान में है। प्रतिवादियां सं. 4 की शादी 31 वर्ष पहले आशाराम निवासी जोरजी का बास (जिकसाना ताल) तहसील तारानगर जिला चूरू में हो जाने के पश्चात् अपने ससुराल में रह रही है। प्रतिवादिया सं. 4 को विवाह के समय ही वादिनी सं. 1 के ससुर व वादी सं. 2 ता 8 के दादा ने चल सम्पत्यिां देकर सन्तुष्ट कर दिया था, इसलिए वादगत कृषि भूमियों में प्रतिवादिया सं. 4 को कोई हक अधिकार कब्जा काश्त कतई नहीं रहा, ना है, ना हो सकता है।

वादिनी सं. 1 की सास एवं वादी सं. 2 ता 8 की दादीजी एवं प्रतिवादी सं. 1 ता 3 की माताजी मु. चाना बेवाह भूराराम के स्वर्गवासी होने पर ग्राम बाढकी व करणपुरा में स्थित उनकी खातेदारी में अंकित 1/5 हिस्सा में से 1/25 हिस्सा वादीगण ब.हि.ब.तथा 3/25 हिस्सा प्रतिवादी सं. 1 से 3 तथा 1/25 हिस्सा भूमि प्रतिवादिया सं. 4 के नाम विरासतन अधिकारों के मुताबिक अंकित हो गई लेकिन प्रतिवादिया सं. 4 का उक्त 1/25 हिस्सा भूमि पर कोई कब्जा काश्त कभी नहीं रहा और ना ही आज है तथा प्रतिवादिया सं. 4 ने इन्तकाल सं. 24 दिनांक 13.06.78 को दर्ज एवं तस्दीक होने के समय ही पीहर की चल एवं अचल सम्पत्तियों में कोई हक अधिकार नहीं लेना चाहते हुए स्वेच्छया अपने हकों का परित्याग कर देने से वादीगण एवं प्रतिवादी सं. 1 ता 3 उक्त हिस्से की भूमि में अपने

उपखण्ड अधिकारी

खातेदारी व काबिज काश्तकारी के अधिकारों की घोषणा करवा कर राजस्व रिकॉर्ड में प्रतिवादिया सं. 4 का नाम विलोपित करवाकर उक्त 1/25 हिस्सा में से 1/4 हिस्सा ब. हि.ब. की खातेदारी वादीगण एवं 3/4 हिस्सा ब.हि.ब. की खातेदारी प्रतिवादी सं. 1 ता 3 के नाम दर्ज करवाने के वादीगण अधिकारी हैं जिसके लिए यह दावा हाजा प्रस्तुत किया जा रहा है। वादगत उपरोक्त समस्त भूमि के सह–खातेदारान वादीगण के पति व पिता फूलाराम एवं प्रतिवादी सं. 1 ता 3 ने करीब 25 वर्ष पहले वादगत कृषि भूमियों का आपसी सहमति से जुबानी व्यावहारिक बंटवारा मौके मौजिज व्यक्तियों के समक्ष वादगत भूमियों का माप करवा कर क लिया था तथा उक्त बंटवारा के मुताबिक मौके पर काबिज होकर अलग अलग काश्त करने लगे तथा आज भी कर रहे हैं। उपरोक्त समस्त कृषि भूमियों में वादीगण 1/4 हिस्सा ब.हि.ब. एवं प्रतिवादी सं. 1 ता 3 तक 3/4 हिस्सा ब.हि.ब. के खातेदार, काबिज काश्तकार होते हुए भी प्रतिवादिया सं. 4 का राजस्व अभिलेखों में नाम गलत अंकित होने से वादीगण को यह कानूनी अधिकार है कि अपने खातेदारी अधिकारों की घोषणा करवा कर रिकॉर्ड दुरूस्त करवाकर 25 वर्षों पहले हुए जुबानी व्यावहारिक बंटवारा के मुताबिक विधिवत विभाजन करवावें।

आपसी सहमति से किये गये बंटवारा के मुताबिक रोही ग्राम बाढकी में स्थित ख.नं. 335/85 तादादी 5.00 बीघा, ख.नं. 337/109 तादादी 3.10 बीघा एवं रोही ग्राम करणपुरा में स्थित ख.नं. 365/127 तादादी 1.03 बीघा में से 0.06 बीघा कुल 8.16 बीघा भूमि स्व. फूलाराम की पांती में आई जिस पर उनके जीवनकाल से ही वादीगण का मौके पर कब्जा काश्त चली आ रही है। वादीगण का उक्त कब्जा काश्त की भूमि पर 25 वर्ष पुराना रिहायशी मकान बना हुआ है जिसमें चार पक्के कमरे, एक रसोई, टॉयलेट–बाथरूम, एक झोंपड़ा व एक टापी स्व. फूलाराम के जीवनकाल से ही बनाये हुए हैं तथा रिहायशी मकानों में वादिनी सं. 1 के नाम घरेलू विद्युत सम्बन्ध वर्तमान खाता सं. 2412/152 लिया हुआ है तथा रोही बाढकी में स्थित कृषि भूमि की चतुर्दिक सीमाओं पर पट्टियां रोपकर कंटीले तारों की पुख्ता तारबन्दी की हुई मौके पर मौजूद है। इस प्रकार वादीगण का उक्त ख.नं. 335/85, 337/109 पर अनन्य कब्जा साधिकार बंटवारा के मुताबिक मौके पर विगत 25 वर्षों से निरन्तर चला आ रहा है। वादीगण ने अपनी पांती में आई उक्त भूमि में सुधार कर काफी उपजाउ बनाया है तथा भूमि की सुरक्षा कर रखी है। इसलिए वादीगण को कानूनन अधिकार हासिल है कि खातेदारी अधिकारों की घोषणा करवाकर उक्त बंटवारा के मुताबिक विधिवत विभाजन करवाकर रिकॉर्ड दुरूस्त करवायें जिसके लिए यह दावा पेश किया जा रहा है। वादीगण ने अपने दावा के परिशिष्ट 'अ' के बिन्दु सं. क से घ में जुबानी व्यावहारिक बंटवारा के अनुसार वादीगण एवं प्रतिवादी सं. 1 ता 3 के पांती में आई कृषि भूमियों का अंकन किया है जिसके अनुसार रोही ग्राम बाढकी में स्थित ख.नं. 335/85 तादादी 5.00 बीघा सम्पूर्ण, ख.नं. 337/109 तादादी 3.10 बीघा सम्पूर्ण एवं रोही ग्राम करणपुरा में स्थित ख.नं. 365/127 तादादी 1.03 बीघा में से 0.06 बीघा कुल 8.16 बीघा भूमि स्व. फूलाराम पुत्र भूराराम जो कि वादीगण के पति व पिता हैं, के हिस्से में आने का उल्लेख करते हुए नजरी नक्शा एनेक्जर ए में हरे रंग से प्रदर्शित किया है।

उपखण्ड अधिकारी
चरू

प्रतिवादी सं. 1 के हिस्से में रोही ग्राम बाढकी के ख.नं. 100 तादादी 14.09 बीघा में से आथुणे पासे की 7.05 बीघा तथा रोही ग्राम करणपुरा में स्थित ख.नं. 90 की तादादी 11 बीघा 5 विश्वा में से अगुणे–दिखनादे पासे की 1.12 बीघा कुल 8.17 बीघा भूमि आनी अंकित की है जिसे नजरी नक्शा एनेक्जर ए में लाल रंग से प्रदर्शित किया है। प्रतिवादी सं. 2 के हिस्से में रोही ग्राम बाढकी के ख.नं. 100 तादादी 14.09 बीघा में से अगुणे पासे की 7.04 बीघा तथा रोही ग्राम करणपुरा में स्थित ख.नं. 90 की तादादी 11 बीघा 5 विश्वा में से आथुणे–दिखनादे पासे की 0.16 बीघा एवं ख.नं. 365/127 तादादी 1.03 बीघा में से उत्तरादे पासे की 0.17 बीघा कुल 8.17 बीघा भूमि आनी अंकित की है जिसे नजरी नक्शा एनेक्जर ए में पीले रंग से प्रदर्शित किया है। प्रतिवादी सं. 3 के हिस्से में रोही ग्राम करणपुरा में स्थित ख.नं. 90 की तादादी 11 बीघा 5 विश्वा में से उतरादे पासे की 8.17 बीघा भूमि आनी अंकित की है जिसे नजरी नक्शा एनेक्जर ए में बैंगनी रंग से प्रदर्शित किया है।

वादीगण ने अपने दावा में अंकित किया है कि राजस्व रिकॉर्ड की नकलें हासिल करके प्रतिवादिया सं. 4 को राजस्व रिकॉर्ड में गलत अंकित नाम को हटवाने तथा प्रतिवादी सं. 1 ता 3 को खातेदारी अधिकारों के मुताबिक मुश्तरका खाता तकसीम करवाकर लगान एवं खाता अलग कायम करवाकर राजस्व अभिलेखों में विभाजन के मुताबिक दुरुस्ती करवाने को कहा एवं रिश्तेदारों व समाज के मौजिज व्यक्तियों से कहलवाया तो प्रतिवादी सं. 1 ता 3 ने वादीगण के जायज अधिकारों को स्वीकारते हुए भी बमुकाम बाढकी दिनांक 15.10.17 को मानने से इन्कार कर दिया लिहाजा यही तिथि बिनाय मुखास्मत दावा हाजा है एवं बिनाय दावा वादीगण पुश्तैनी कृषि भूमि जेर बहस के सहखातेदार, काबिज काश्तकार होने से हर समय हासिल है। वादगत कृषि भूमि के खातेदार प्रतिवादी सं. 1 से 4 द्वारा प्रतिवादी सं. 5 व 6 के हक में बिला कब्जा रहन रख रखी होने से प्रतिवादी सं. 5 व 6 को पक्षकार बनाया गया है तथा प्रतिवादी सं. 7 को बतौर भूस्वामी आवश्यक पक्षकार होने से वाद में पक्षकार संयोजित किया गया है परन्तु उनके हितों के प्रतिकूल कोई अनुतोष नहीं चाहा गया है इसलिए बिना धारा 80 सीपीसी का कानूनी नोटिस दिये ही वाद श्रीमान् जी के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। बलिहाज सकूनत फरीकेन, वादकारण उत्पत्ति स्थल, कृषि भूमि जेर बहस तहसील क्षेत्र चूरू में स्थित होने आदि हर लिहाज से दावा हाजा के अदालतवाला को पूर्ण श्रवणाधिकार एवं क्षेत्राधिकार हासिल हैं। इसलिए दावा मामूलन न्याय शुल्क पर वादकारण उत्पन्न होने से हर प्रकार से अन्दर मियाद प्रस्तुत है। अतः दावा हाजा प्रस्तुत करके अर्ज है कि दावा वादीगण बहक वादीगण खिलाफ प्रतिवादीगण नीचे अंकितानुसार डिक्री में सादर फरमाया जावेः–

(क) घोषित किया जावे कि कृषि भूमि ख.नं. 100 तादादी 14.09 बीघा, ख.नं. 335/85 तादादी 5.00 बीघा, ख.नं. 337/109 तादादी 3.10 बीघा किता 3 कुल तादादी 22.19 बीघा वाके रोही मौजा बाढकी एवं कृषि भूमि ख.नं. 90 तादादी 11.05 बीघा, ख.नं. 365/127 तादादी 1.03 बीघा किता 2 कुल तादादी 12.08 बीघा वाके रोही मौजा करणपुरा तहसील चूरू में स्थित भूमि में से वादीगण 1/4 हिस्सा ब.हि.ब. तथा 3/4 हिस्सा ब.हि.ब. के प्रतिवादीगण सं. 1 ता 3 खातेदार, काबिज काश्तकार हैं तथा प्रतिवादिया सं. 4 का वादगत कृषि

उपखण्ड अधिकारी

भूमियों में कोई हक अधिकार हिस्सा नहीं होने से प्रतिवादिया सं. 4 का वादगत भूमियों में गलत अंकित नाम काबिले विलोपित होने से विलोपित किया जावे।

(ख) यह कि उपर्युक्त घोषणानुरूप कृषि भूमि जेर बहस के मुश्तरका खाता का विभाजन वादीगण के पूर्वज स्व. फूलाराम एवं प्रतिवादीगण सं. 1 ता 3 के द्वारा किये गये जुबानी व्यावहारिक बंटवारा के मुताबिक एवं दावा की मद सं. 8 के परिशिष्ट 'अ' की उपमद 'क' ता 'घ' में अंकितानुसार एवं नजरी नक्शा एनेक्जर ए' में दर्शाये अनुसार किया जाकर खाता तकसीम करके नक्शा किश्तवार में वादीगण एवं प्रतिवादीगण सं. 1 ता 3 के हिस्सों का अलग डिमार्केशन किया जाकर राजस्व अभिलेखों में दुरूस्ती कर वादीगण एवं प्रतिवादीगण सं. 1 ता 3 का खाता एवं लगान अलग कायम करके तद्नुसार राजस्व अभिलेखों में खातेदारी दर्ज करने को प्रतिवादी सं. 7 को आदेशित किया जावे।

(ग) खर्चा मुकदमा वादीगण को प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 से दिलवाया जावे।

(घ) अन्य कोई न्यायोचित अनुतोष जो हितकर वादीगण हो या हो जावे, वो भी प्रदान किया जावे।

वादीगण द्वारा प्रस्तुत दावा न्यायालय के क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार का होने से दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण की जरिये सम्मन तलबी की गई जिस पर प्रतिवादी सं. 1 से 4 की ओर से श्री जितेन्द्र पूनिया एडवोकेट, प्रतिवादी सं. 5 की ओर से श्री सुरेश शर्मा एडवोकेट एवं प्रतिवादी सं. 6 की ओर से श्री हेमन्त शर्मा एडवोकेट ने वकालतनामे पेश किये। वादीगण एवं प्रतिवादी सं. 1 से 4 स्वयं उपस्थित हुए जिनकी पहचान उनके अधिवक्ताओं द्वारा की गई। वादीगण एवं प्रतिवादी सं. 1 से 4 ने आपसी सहमति का राजीनामा पेश कर अंकित किया कि उपरोक्त अनुवानी दावा में पक्षकारों के मध्य बाहमी राजीनामा हो चुका है जो निम्न प्रकार है:-

यह कि वादीगण के हक व हिस्से में रोही मौजा बाढकी में स्थित कृषि भूमि ख.नं. 335/85 तादादी 5.00 बीघा, ख.नं. 337/109 तादादी 3.10 बीघा कुल किता 2 कुल तादादी 8.10 बीघा सम्पूर्ण एवं रोही मौजा करणपुरा में स्थित कृषि भूमि ख.नं. 365/127 तादादी 1.03 बीघा में से आथुणे-दिखनादे पासे की 0.06 बीघा कुल 8.16 बीघा भूमि आयी है। प्रतिवादी सं. 1 के हक व हिस्से में रोही मौजा बाढकी में स्थित कृषि भूमि ख.नं. 100 तादादी 14 बीघा 09 विश्वा में से आथुणे पासे की 7 बीघा 05 विश्वा तथा रोही मौजा करणपुरा में स्थित ख.नं. 90 की तादादी 11 बीघा 5 विश्वा में से 1.12 बीघा अगुणे-दिखनादे पासे की कुल 8.17 बीघा भूमि आयी है। प्रतिवादी सं. 2 के हक व हिस्से में रोही मौजा बाढकी में स्थित कृषि भूमि ख.नं. 100 तादादी 14.09 बीघा में से अगुणे पासे की 7.04 बीघा तथा रोही मौजा करणपुरा में स्थित कृषि भूमि ख.नं. 90 में से आथुणे-दिखनादे पासे की 0.16 बीघा तथा ख.नं. 365/127 तादादी 1.03 बीघा में से उत्तरादे पासे की 0.17 बीघा कुल 8.17 बीघा भूमि आयी है। प्रतिवादी सं. 3 के हक व हिस्से में रोही मौजा करणपुरा में स्थित कृषि भूमि ख.नं. 90 तादादी 11.05 बीघा में से उतरादे पासे की 8 बीघा 17 विश्वा भूमि आयी है।

उपखण्ड अधिकारी
चूरू

यह कि उपरोक्तानुसार वादीगण एवं प्रतिवादीगण के हक व हिस्से में आयी कृषि भूमि जिसका अंकन दावा में संलग्न नक्शा में सभी खातेदारों के अपने अपने हिस्सों में अलग अलग रंग भरकर पेश किया हुआ है, जो राजीनामा का ही भाग समझा जाकर अलग अलग खाता विभाजन कर अलग अलग राजस्व रिकार्ड में अंकन कर अलग अलग लगान कायम किया जावे। यह कि प्रतिवादिया सं. 4 मु. किताबी काफी वर्ष पूर्व ही शादी होकर अपने ससुराल रहती चली आ रही है तथा ससुराल में अपने पति के हिस्से की सम्पत्ति में हक व हिस्सा ले लिया है तथा प्रतिवादिया के शादी, उत्सव, छुछक, भात आदि वादीगण एवं प्रतिवादीगण सं. 1 ता 3 लगातार करते आ रहे हैं तथा प्रतिवादिया सं. 4 वादगत कृषि भूमि में कोई हक एवं हिस्सा लेना नहीं चाहती है। इसलिये इस राजीनामा के मुताबिक दावा डिक्री की राजस्व रिकार्ड में अंकन फरमाये जाने का आदेश पारित करते हुए दावा का फैसला किया जावे।

दावा के पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत बाहमी राजीनामा उपस्थित पक्षकारों को पढ़कर सुनाया गया जिस पर वादीगण एवं प्रतिवादीगण ने प्रस्तुत बाहमी राजीनामा पर अपनी सहमति प्रकट करते हुए राजीनामा के अनुसार दावा डिक्री करने का निवेदन किया जिस पर सहमति के हस्ताक्षर अंकित करवाये जाकर राजीनामा तस्दीक किया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। प्रतिवादी सं. 5 व 6 की ओर से रहनकर्ता बैंकों का हित सुरक्षित रखने का निवेदन किया जिस पर वकील वादीगण ने कथन किया कि बैंकों का ऋण जमा करवाया जा चुका है जिनके अदेयता प्रमाण पत्र की प्रति आगामी पेशी पर प्रस्तुत कर दी जायेगी। पत्रावली अदेयता प्रमाण पत्र पेश करने एवं बहस मूल दावा हेतु नियत की गई।

अधिवक्ता वादीगण की ओर से सूची के संलग्न बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा चूरू द्वारा दिनांक 27.12.17 को जारी अदेयता प्रमाण पत्र की छाया प्रति पेश की जो शामिल मिसल की जाकर अवलोकन किया गया। उक्त अदेयता प्रमाण पत्र प्रतिवादी सं. 2 के पक्ष में जारी किया गया है। प्रतिवादी सं. 1 व 3, 4 के अदेयता प्रमाण पत्र पेश नहीं किये गये हैं जो पेश करने के आदेश दिये गये।

वकील वादीगण की ओर से दिनांक 30.01.18 को प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 6 नियम 17 सीपीसी का मय सूची के संलग्न वादी सं. 5 की टी.सी., अदेयता प्रमाण पत्र प्रतिवादी सं. 4 एवं भामाशाह पंजीयन की रसीद की छाया प्रतियां पेश कर निवेदन किया कि दावा की मद सं. 13 में न्यायालय के श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार तहसील क्षेत्र सरदारशहर लिपिकीय गलती से अंकित हो गया जबकि वादगत कृषि भूमि तहसील क्षेत्र चूरू में स्थित है एवं अन्त में वादी सं. 5 का नाम अर्चना उर्फ गीता की जगह अंजना अंकित हो गया जो सही अंकित फरमाये जावें। प्रा0पत्र पर वकील उभयपक्ष को सुना गया एवं पत्रावली व पेश दस्तावेजात् का अवलोकन करने पर वादीगण का प्रार्थना पत्र उचित होने से स्वीकार किया जाकर चाहे गये संशोधन दावा में लाल स्याही से अंकित किये गये।

उपखण्ड अधिकारी
चूरू

दावा वादीगण पर वकील उभयपक्ष की बहस सुनी गई। वकील उभयपक्ष ने दावा पर अपनी बहस में जाहिर किया कि दावा में वादीगण एवं प्रतिवादी सं. 1 से 4 की ओर से आपसी सहमति से बाहमी राजीनामा पेश होकर न्यायालय द्वारा तस्दीक हो चुका है तथा प्रतिवादी सं. 2 व 4 पक्षकारों ने बैंकों से ऋण ले रखा था, उन्होंने बैंकों का ऋण चुकता कर अदेयता प्रमाण पत्र पेश कर दिये हैं। प्रतिवादी सं. 1 व 3 ने अपने जितने हिस्से की भूमि पर ऋण ले रखा है विभाजन के बाद उससे अधिक कृषि भूमि ही प्रतिवादी सं. 1 व 3 के नाम दर्ज होनी है जो बैंक के रहन रखी जा सकती है जिससे रहनकर्ता बैंक को किसी प्रकार का कोई आर्थिक नुकसान होने का अन्देशा नहीं है। अब किसी भी पक्षकार को दावा स्वीकार करने बाबत कोई आपत्ति नहीं है। प्रतिवादिया सं. 4 वादगत कृषि भूमि में कोई हक व हिस्सा नहीं लेना चाहती। अतः पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत बाहमी राजीनामा, दावा में अंकित परिशिष्ट 'ए' के उपमद 'क' से 'घ' एवं पेश नजरी नक्शे के अनुसार दावा स्वीकार किया जाकर अन्तिम रूप से डिक्री फरमाया जावे एवं वादीगण एवं प्रतिवादी सं. 1 से 3 के खाते व लगान अलग अलग कायम करने के आदेश फरमाये जावें।

दावा वादीगण पर वकील उभयपक्ष की बहस सुनी जाकर पत्रावली एवं पेश दस्तावेजात् का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया एवं वकील उभयपक्ष की बहस के तथ्यों पर मनन किया गया। वादगत कृषि भूमि की जमाबन्दियां सम्वत् 2071 से 2074 ग्राम बाढकी एवं ग्राम करणपुरा एवं नकल नामान्तरकरणों के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि वादगत कृषि भूमियां वादीगण एवं प्रतिवादी सं. 1 से 4 की पुश्तैनी संयुक्त खातेदारी व कब्जा काश्त की हैं। वादगत कृषि भूमियां वादीगण व प्रतिवादी सं. 1 से 4 के पूर्वज स्व. भूराराम की खातेदारी की रही हैं जो कि भूराराम के निधन के पश्चात् वादीगण के पति व पिता स्व. फूलाराम तथा प्रतिवादी सं. 1 से 3 एवं उनकी माता चानादेवी के नाम दर्ज हुई। चानादेवी के निधन के बाद दर्ज नामान्तरण में चानादेवी के हिस्से की भूमि में से विरासतन हिस्से के रूप में 1/25 हिस्सा भूमि प्रतिवादी सं. 4 के नाम दर्ज हुई है। असल प्रति विद्युत बिल माह जून, 2016 के अनुसार वादगत कृषि भूमि में वादीगण के आवासीय मकान में उक्त विद्युत सम्बन्ध वादी सं. 1 के नाम अंकित है। वादीगण के आवासीय मकान के भीतर स्व. फूलाराम के मौजूद होने के समय का असल छायाचित्र जिसमें समस्त वादीगण मौजूद हैं जिनसे यह प्रतीत होता है कि वादगत कृषि भूमि में से वादीगण द्वारा पेश दावा में चाही गई हिस्सा भूमि पर कब्जा काश्त वादीगण का ही है जिसको राजनीनामा में प्रतिवादीगण द्वारा स्वीकार किया गया है। दावा में वादगत कृषि भूमि के समस्त खातेदार पक्षकारों वादीगण एवं प्रतिवादी सं. 1 से 4 ने आपसी सहमति से बाहमी राजीनामा पेश किया है जिसमें दावा की मद संख्या 8 के परिशिष्ट 'अ' की उपमद क, ख, ग, घ में कमशः वादीगण, प्रतिवादी सं. 1, प्रतिवादी सं. 2 एवं प्रतिवादी सं. 3 के हिस्से की भूमियों का नजरी नक्शा एनेक्जर 'ए' में वादीगण का हरे रंग, प्रतिवादी सं. 1 का लाल रंग, प्रतिवादी सं. 2 का पीले रंग एवं प्रतिवादी सं. 3 का बैंगनी रंग से दर्शितानुसार खाता विभाजन करने का निवेदन किया है। पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत राजीनामा अनुसार प्रतिवादिनी सं. 4 किताबी ने अंकित किया है कि उसकी शादी काफी वर्ष पूर्व हो चुकी है तथा वह अपने ससुराल रहती है तथा ससुराल में अपने पति के हिस्से की सम्पत्ति में हक व हिस्सा

उपखण्ड अधिकारी

प्राप्त कर लिया है। वादीगण एवं प्रतिवादी सं. 1 से 3 प्रतिवादिया के उत्सव, भात, छुछक आदि निरन्तर करते आ रहे हैं। वादगत कृषि भूमि पर उसका कोई कब्जा काश्त कभी नहीं रहा है। प्रतिवादिया सं. 4 वादगत कृषि भूमि में कोई हक एवं हिस्सा नहीं लेना चाहती है। इसलिए इस राजीनामा के मुताबिक दावा डिक्री फरमावें। पक्षकारों द्वारा उक्त राजीनामा उपस्थित होकर लिखित रूप से प्रस्तुत किया है जो न्यायालय द्वारा तस्दीक किया जा चुका है। इस प्रकार वादगत कृषि भूमि वादीगण एवं प्रतिवादी सं. 1 से 4 की संयुक्त खातेदारी की कृषि भूमि है जिसमें प्रतिवादी सं. 4 अपना हिस्सा नहीं लेना चाहती एवं स्वेच्छा से छोड़ना स्वीकार किया है। इसलिए दावा वादीगण राजीनामा अनुसार डिक्री किया जाना उचित है। साथ ही वादगत कृषि भूमि वादीगण एवं प्रतिवादीगण की खातेदारी की होने से अपने–अपने हिस्सों की भूमियों का विभाजन करवा कर अपने अलग खाते व लगान कायम करवाने के अधिकारी हैं। प्रतिवादी सं. 4 ने वादगत कृषि भूमि में अपना हिस्सा स्वेच्छा से वादीगण एवं प्रतिवादी सं. 1 से 3 के पक्ष में छोड़ना स्वीकार किया है। जिन पक्षकारों की वर्तमान में जितनी हिस्सा भूमि बैंक के रहन है, विभाजन के बाद उन पक्षकारों के हिस्सों में दर्ज की जाने वाली हिस्सा भूमि कम न होकर अधिक दर्ज होनी है एवं रहन ही दर्ज रहनी है जिससे बैंक को किसी प्रकार की कोई आर्थिक हानि होने की सम्भावना नहीं है। प्रतिवादी सं. 2 व 4 अपने अदेयता प्रमाण पत्र पेश कर चुके हैं। इस प्रकार दावा वादीगण उचित एवं प्रमाणित होने से स्वीकार योग्य है।

अतः उपरोक्त विस्तृत विश्लेषण एवं बाहमी राजीनामा के आधार पर लोक अदालत की भावना से वादीगण स्वीकार किया जाकर अन्तिम रूप से *डिक्री किया जाता है एवं* वादगत कृषि भूमि ख.नं. 100, 335/85, 337/109 तादादी कमशः 14.09, 5.00, 3.10 कुल 22.10 बीघा रोही मौजा बाढकी तथा ख.नं. 90, 365/127 तादादी कमशः 11.05, 1.03 कुल 12.08 बीघा रोही मौजा करणपुरा तहसील चूरू में स्थित कृषि भूमि में से प्रतिवादी सं. 4 का नाम हटाया जाकर वादीगण को 1/4 हिस्सा एवं प्रतिवादी सं. 1 से 3 प्रत्येक को 1/4, 1/4 हिस्सा का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। वादगत कृषि भूमि का खाता विभाजन वादीगण एवं प्रतिवादी सं. 1 ता 3 के मध्य निम्नानुसार करने का आदेश दिया जाता है:–

क्र. सं.	नाम खातेदारान मय वल्दियत व पता	रोही ग्राम	ख0नं0 मय पासा	तादादी	किस्म	लगान
1.	मीरा पत्नी फूलाराम, सोना, सुमित्रा, सजना, अर्चना उर्फ गीता, मंगलम, प्रियंका, मुकेश पुत्र–पुत्रियां फूलाराम जाति जाट निवासी बाढकी ब.हि.ब. खातेदार	बाढकी	335/85 337/109	5.00 बीघा 3.10 बीघा	बारानी बारानी	
		करणपुरा	365/127 आथुणा	0.06 बीघा	बारानी	
		कुल	किता–3	8.16 बीघा	बारानी	4.40
2.	हरलाल पुत्र भूराराम जाति जाट निवासी बाढकी खातेदार	बाढकी	100 आथुणा	7.05 बीघा	बारानी	
		करणपुरा	90 अगुणा	1.12 बीघा	बारानी	
		कुल	किता–2	8.17 बीघा	बारानी	4.43

उपखण्ड अधिकारी
चूरू

3.	मूलचन्द पुत्र भूराराम जाति जाट निवासी बाढकी खातेदार	बाढकी	100 अगुणा	7.04 बीघा	बारानी	
		करणपुरा	90 आथुणा	0.16 बीघा	बारानी	
			365/127 उतरादा	0.17 बीघा	बारानी	
		कुल	किता–2	8.17 बीघा	बारानी	4.43
4.	बुधाराम पुत्र भूराराम जाति जाट निवासी बाढकी खातेदार	करणपुरा	90 दिखनादा	8.17 बीघा	बारानी	4.42

जिन खातेदारों की कृषि भूमि बैंक के रहन दर्ज है, वह यथावत् रहन रहेगी। तहसीलदार, चूरू को डिकी के अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करने के निर्देश दिये जाते हैं। डिकी पर्चा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 31.01.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(श्वेता कोचर)
उपखण्ड अधिकारी, चूरू

डिक्री व मुकदमे इब्तदाई
(ऑर्डर 20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)
(CIVIL PROCEDURE CODE, APPENDIX 'D'-1)
अदालत उपखण्ड अधिकारी, मुकाम चूरू

इजलास : सुश्री श्वेता कोचर आर0ए0एस0

1. मु. मीरा पत्नी स्व. फूलाराम जाति जाट निवासी बाढकी तहसील व जिला चूरू
2. मु. सोना पुत्री स्व. फूलाराम पत्नी यशपाल
3. मु. सुमित्रा पुत्री स्व. फूलाराम पत्नी सुरेश
4. मु. सजना पुत्री स्व. फूलाराम पत्नी सुभाष
5. मु. अर्चना पुत्री स्व. फूलाराम पत्नी राकेश
6. कु. मंगलम उर्फ मंजू पुत्री स्व. फूलाराम

(क्र. 2 से 6) जाति जाट निवासीगण बाढकी तहसील व जिला चूरू

7. कु. प्रियंका पुत्री स्व. फूलाराम बउम्र 16 वर्ष
8. मुकेश पुत्र स्व. फूलाराम बउम्र 14 वर्ष

(क्र. 7 व 8) नाबालिग जरिये कुदरती वली अपनी माता मु. मीरा पत्नी स्व. फूलाराम जाति जाट निवासी बाढकी तहसील व जिला चूरू (राज.)

–वादीगण–

<u>बनाम</u>

1. हरलाल
2. मूलचन्द
3. बुधाराम

(क्र. 1 से 3) पि. स्व. भूराराम सकनाऐ बाढकी तहसील व जिला चूरू (राज.)

4. मु. किताबी पुत्री स्व. भूराराम पत्नी आशाराम जाति जाट निवासी जोरजी का बास (जिकसाना ताल) तहसील तारानगर जिला चूरू (राज.)
5. आई.डी.बी.आई. बैंक लिमिटेड, शाखा–चूरू जरिये प्रबन्धक, आई.डी.बी.आई. बैंक लिमिटेड, शाखा–चूरू (राज.)
6. बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा–चूरू जरिये प्रबन्धक, बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा–चूरू (राज.)
7. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, चूरू (राज.)

–प्रतिवादीगण–

<u>दावा अन्तर्गत धारा 53, 88, 92ए आर.टी.ए.</u>
मुकदमा नं. 703/2017

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिलाल कतई रूबरू हमारे हाजरी श्री नरेन्द्र सिहाग एडवोकेट वादीगण मिनजानिब मुदईब श्री जितेन्द्र सिहाग एडवोकेट प्रतिवादी सं. 1 से 4 मिनजानिब मुदाएलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि:–

विस्तृत विश्लेषण एवं बाहमी राजीनामा के आधार पर लोक अदालत की भावना से वादीगण स्वीकार किया जाकर अन्तिम रूप से डिक्री किया जाता है एवं वादगत कृषि भूमि ख.नं. 100, 335/85, 337/109 तादादी कमशः 14.09, 5.00, 3.10 कुल 22.10 बीघा रोही मौजा बाढकी तथा ख.नं. 90, 365/127 तादादी कमशः 11.05, 1.03 कुल 12.08

उपखण्ड अधिकारी

बीघा रोही मौजा करणपुरा तहसील चूरू में स्थित कृषि भूमि में से प्रतिवादी सं. 4 का नाम हटाया जाकर वादीगण को 1/4 हिस्सा एवं प्रतिवादी सं. 1 से 3 प्रत्येक को 1/4, 1/4 हिस्सा का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। वादगत कृषि भूमि का खाता विभाजन वादीगण एवं प्रतिवादी सं. 1 ता 3 के मध्य निम्नानुसार करने का आदेश दिया जाता है:-

क्र. सं.	नाम खातेदारान मय वल्दियत व पता	रोही ग्राम	ख0नं0 मय पासा	तादादी	किस्म	लगान
1.	मीरा पत्नी फूलाराम, सोना, सुमित्रा, सजना, अर्चना उर्फ गीता, मंगलम, प्रियंका, मुकेश पुत्र-पुत्रियां फूलाराम जाति जाट निवासी बाढकी ब.हि.ब. खातेदार	बाढकी	335/85	5.00 बीघा	बारानी	
			337/109	3.10 बीघा	बारानी	
		करणपुरा	365/127 आथुणा	0.06 बीघा	बारानी	
		कुल	किता-3	8.16 बीघा	बारानी	4.40
2.	हरलाल पुत्र भूराराम जाति जाट निवासी बाढकी खातेदार	बाढकी	100 आथुणा	7.05 बीघा	बारानी	
		करणपुरा	90 अगुणा	1.12 बीघा	बारानी	
		कुल	किता-2	8.17 बीघा	बारानी	4.43
3.	मूलचन्द पुत्र भूराराम जाति जाट निवासी बाढकी खातेदार	बाढकी	100 अगुणा	7.04 बीघा	बारानी	
		करणपुरा	90 आथुणा	0.16 बीघा	बारानी	
			365/127 उतरादा	0.17 बीघा	बारानी	
		कुल	किता-2	8.17 बीघा	बारानी	4.43
4.	बुधाराम पुत्र भूराराम जाति जाट निवासी बाढकी खातेदार	करणपुरा	90 दिखनादा	8.17 बीघा	बारानी	4.42

जिन खातेदारों की कृषि भूमि बैंक के रहन दर्ज है, वह यथावत् रहन रहेगी। तहसीलदार, चूरू को डिकी के अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करने के निर्देश दिये जाते हैं।

यह डिकी मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से आज दिनांक 31 माह जनवरी सन् 2018 को जारी की गई।

(श्वेता कोचर)
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी, चूरू
चूरू